न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2023(GCMS 2023/174)
(आरटीआई नं.)

श्री पवन कुमार निवासी 2 जीडी–ए, जीडी–बी, तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़

बनाम

प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पवन कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, अपीलीय अधिकारी, रा.रा.खा.ना.आ.नि. लि, जयपुर के समक्ष एक ऑनलाईन अपील प्रस्तुत की थी, अपील का सम्बन्ध इस कार्यालय से होने के कारण उनके द्वारा प्रार्थी की मूल अपील इस कार्यालय को स्थानान्तरित की गई है। जिसमें प्रार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन दिनांक 13.07.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. क्या वर्तमान सरपंच खाद्य सुरक्षा के तहत राशन प्राप्त करने योग्य है, जिसके पास स्वयं के 2 प्लॉट, पक्के मकान, ट्रैक्टर–ट्रॉली, मोटर साईकिल, दो लड़कों की बाजार में दुकान व स्वयं के नाम से 5 बीघा नहरी भूमि हो।
2. अगर पात्र नहीं है तो आज तक प्राप्त राशन की रिकवरी व तथ्यों को छुपाकर पद का दुरूपयोग करने के खिलाफ आपके विभाग द्वारा नियमानुसार क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

 अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2023

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू.क.अ./2735 दिनांक 03.10.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी पवन कुमार द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत निम्न सूचना प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, श्रीगंगानगर से ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के जरिये चाही गई थी :

1. क्या वर्तमान सरपंच खाद्य सुरक्षा के तहत राशन प्राप्त करने योग्य है, जिसके पास स्वयं के 2 प्लॉट, पक्के मकान, ट्रैक्टर–ट्रॉली, मोटर साईकिल, दो लड़कों की बाजार में दुकान व स्वयं के नाम से 5 बीघा नहरी भूमि हो।
2. अगर पात्र नहीं है तो आज तक प्राप्त राशन की रिकवरी व तथ्यों को छुपाकर पद का दुरूपयोग करने के खिलाफ आपके विभाग द्वारा नियमानुसार क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि बिंदु सं.–01 के सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ.13(10) (5)खा.वि./आवंटन/2013 जयपुर दिनांक 05.11.2015 (संलग्न) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी नाम काटने व जोड़ने के लिए प्राधिकृत है। अतः प्रार्थी द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी उचित होगी।

बिंदु सं.–02 के सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ.13(20)खा.वि/आवंटन/2019 जयपुर दिनांक 24.02.2020 (संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों से वसूली के संबंध में आदेश प्राप्त है।

इस संबंध में प्रार्थी श्री पवन कुमार, 2 जीडी–बी, घड़साना को भी सूचित कर दिया गया है। अतः अपील जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील खारिज फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(रीना)
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी,** श्रीगंगानगर **द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर